न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हरिराम बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 73/1 रकबा 7 बीघा, खसरा नं0 1 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम बाढ कानलोदा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 मे स्थित हैं प्राभ्रि व अप्रार्थी संख्या 2 रामराज व रामपति की सहखातेदारी भूमि है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त आराजी को आगे वादग्रस्त से सम्बोधित किया जावेगा। आराजी वादग्रस्त की खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के पिता हरिनारायण के नाम से राजस्व अभिलेख में अकित थी जिसका निधन वर्ष 1997–1998 मे हो गया। उस समय प्रार्थी नाबालिक था वरवक्त विरासत का नामान्तकरण राजस्व एजेन्सी द्वारा खोले जाने पर घर में प्यार से पुकारे जाने वाले नाम बंटी के नाम से दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हरिराम पुत्र हरिनारायण है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में बंटी गलत इन्द्राज हो जाने व अन्य रिकार्ड टी.सी., बैंक खाता, अंक तालिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र वगैरह मे हरिराम पुत्र हरिनारायण दर्ज है इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में बंटी गलत इन्द्राज हो रहा है को प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के बालिक हो जाने पर अपने हिस्से की कृषि भूमि पर ऋण, किसान केडिट कार्ड, रहन गिरवी रखकर अन्य लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में बंटी हो रहा है की जगह हरिराम पुत्र हरिनारायण दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। ग्राम पंचायत कांकरिया के गांव कानलोदा में प्रार्थी हरिराम पुत्र हरिनारायण के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बंटी हो रहा है कि जगह हरिमोहन पुत्र हरिनारायण दुरूसत किया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थी दिनांक 01–05–2019 को किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने जमाबन्दी में बंटी नाम होना बताया इस पर प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय लालसोट के यहां राजस्व अभिलेख में हो रहे	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

गलत नाम को दुरूस्त करवाने का प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतू निर्देश दिये जिस पर प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश है। प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजात में हरिराम पुत्र हरिनारायण मीना चला आ रहा है जबकि राजस्व अभिलेख में बंटी पुत्र हरिनारायण दर्ज हो रहा है को दुरूस्त किया जाकर हरिराम पुत्र हरिनारायण जाति मीना निवासी ग्राम कानलोदा दुरूस्त फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री प्रेम प्रकाश चौधरी एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 73/1 रकबा 7 बीघा, खसरा नं0 1 रकबा 5 बीघा वाकै ग्राम बाढ कानलोदा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थी का उक्त खातेदारी में नाम बन्टी पुत्र हरिनारायण दर्ज किया है जबकि प्रार्थी को बंटी व हरिराम दोनो की नाम से जाना जाता है के कारण शुद्व किये जाने योग्य है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी का नाम नामान्तकरण खोलते समय अशुद्व हुआ है जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी नामान्तकरण की अपील कर अनुतोष ले सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०